आयोजनागत
संख्या–457/XXIV(8)/2006–81/2005

प्रेषक,

के.के. पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी)

देहरादूनः दिनांक 22 मई,2006

विषयः– **राजकीय पालीटेक्निक गौचर के आवासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक –376/नि.प्रा.शि./प्लान–छः–1/ 2006–07 दिनांक 17.5.2006 एवं शासनादेश संख्या–1004/XXIV(8)/2005–81/2005 दिनांक 30.12.2005 तथा शासनादेश संख्या–182/XXIV(8)/2006–81/2005 दिनांक 23.3.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय पालीटेक्निक गौचर के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर द्वारा गठित आंगणन के सापेक्ष रू0 291.32 लाख (रूपये दो करोड़ इक्यानब्बे लाख बत्तीस हजार मात्र) में से अभी तक स्वीकृत धनराशि रू0 35.00 लाख को समायोजित करते हुए इस वित्तीय वर्ष 2006–07 में अवशेष धनराशि रू0 256.32 लाख में से रु0 40.00 लाख (रुपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

11– इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– आयोजनागत – 104– बहुशिल्प –00– 03 – राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–174/वित्त अनुभाग–3/ 2006 दिनांक 25.5.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के.के. पन्त)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. जिलाधिकारी चमोली।
6. कोषाधिकारी, पौडी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
11. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

आयोजनागत
संख्या–459/XXIV(8)/2006–83/2005

प्रेषक,

के.के. पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी)

देहरादूनः दिनांक 27 मई,2006

विषयः– **राजकीय पालीटेक्निक गौचर में 48 सीटेड़ महिला छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक –375/नि.प्रा.शि./प्लान–छः–1/ 2006–07 दिनांक 17.5.2006 एवं शासनादेश संख्या–1022/XXIV(8)/2005–83/2005 दिनांक 29.12.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय पालीटेक्निक गौचर में 48 सीटेड़ महिला छात्रावास के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर द्वारा गठित आंगणन के सापेक्ष रू0 131.74 लाख (रूपये एक करोड़ इकतीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) में से अभी तक स्वीकृत धनराशि रू0 10.00 लाख को समायोजित करते हुए इस वित्तीय वर्ष 2006–07 में अवशेष धनराशि रू0 121.74 लाख में से रु0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

11– इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– आयोजनागत – 104– बहुशिल्प –00– 03 – राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–170/वित्त अनुभाग–3/ 2006 दिनांक 25.5.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के.के. पन्त)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी पौड़ी।
6. कोषाधिकारी, पौडी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
11. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

आयोजनागत
संख्या–463/XXIV(8)/2006

प्रेषक,

के.के. पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 17 मई,2006

विषयः– राजकीय पालीटेक्निक देहरादून के आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–371/नि0प्रा0शि0/प्लान–छै–1/2006–07 दिनांक 17.5.2006 तथा शासनादेश संख्या– 37/प्रा0शि0 /2004 दिनांक 27.3.2004, शासनादेश संख्या–378/ प्रा0शि0 /2004 दिनांक 8.9.2004, शासनादेश संख्या–519/XXIV(8)/2005 दिनांक 8.7.2005, शासनादेश संख्या–719 /XXIV(8)/2005 दिनांक 14.9.2005 एवं शासनादेश संख्या–961/XXIV(8)/2005 दिनांक 20.2.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, राजकीय पालीटेक्निक देहरादून के आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत निर्माणाधीन प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 699.00 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 272.10 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू0 426.90 लाख के सापेक्ष सम्प्रति रू0 100.00 लाख (रूपये सौ लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– धनराशि वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किये जाये और जहॉ आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें। स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करायें जायें ।

3– निर्माण कार्यो की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

4– इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– आयोजनागत – 104– बहुशिल्प–00– 03 – राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–182/वित्त अनुभाग–3/ 2006 दिनांक 25.5.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के.के. पन्त)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. जिलाधिकारी देहरादून।
6. कोषाधिकारी, पौडी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
11. परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

आयोजनागत
संख्या–473/XXIV(8)/2006–84/2005

प्रेषक,

के.के. पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 29 मई,2006

विषयः– राजकीय पालीटेक्निक द्वाराहाट के वर्कशाप भवन के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–378/नि0प्रा0शि0/प्लान–छः–1/2006–07 दिनांक 17.5.2006 तथा शासनादेश संख्या–52/XXIV(8)/2006–84/2005 दिनांक 24.2.2006 एवं शासनादेश संख्या–199/XXIV(8)/2006–84/2005 दिनांक 24.3.2006 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, राजकीय पालीटेक्निक द्वाराहाट के वर्कशाप भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 153.03 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 26.50 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू0 126.53 लाख के सापेक्ष सम्प्रति रू0 40.00 लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि इस वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्वीकृत करते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किये जाये और जहॉ आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें। स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध करायें जायें ।

3– निर्माण कार्यो की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

4– इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– आयोजनागत – 104– बहुशिल्प–00 – 03 – राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–201/वित्त अनुभाग–3/ 2006 दिनांक 27.5.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के.के. पन्त)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
6. कोषाधिकारी, पौडी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
11. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, अल्मोड़ा।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

आयोजनागत
संख्या–458/XXIV(8)/2006–83/2005

प्रेषक,

के.के. पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी)

देहरादूनः दिनांक 22 मई,2006

विषयः– **राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल के 60 सीटेड महिला छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।**

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक –372/नि.प्रा.शि./प्लान–छः–1/ 2006–07 दिनांक 17.5.2006 एवं शासनादेश संख्या–51/XXIV(8)/2006–83/2005 दिनांक 2.3.2006 तथा शासनादेश संख्या–177/XXIV(8)/2006–83/2005 दिनांक 22.3.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल के 60 सीटेड महिला छात्रावास के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई, श्रीनगर द्वारा गठित आंगणन के सापेक्ष रू0 148.60 लाख (रूपये एक करोड़ अडतालीस लाख साठ हजार मात्र) में से अभी तक स्वीकृत धनराशि रू0 28.00 लाख को समायोजित करते हुए इस वित्तीय वर्ष 2006–07 में अवशेष धनराशि रू0 120.60 लाख में से रु0 40.00 लाख (रुपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगंणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगंणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद की राशि का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

10– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

11– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– आयोजनागत – 104– बहुशिल्प –00– 03 – राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–175/वि0 अनु0–3/2006 दिनांक 25.5.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के.के. पन्त)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी।
5. जिलाधिकारी पौड़ी।
6. कोषाधिकारी, पौडी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
11. परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।

7

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

10– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

11– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– आयोजनागत – 104– बहुशिल्प –00– 03 – राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–175/वि0 अनु0–3/2006 दिनांक 25.5.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(के.के. पन्त)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी।
5. जिलाधिकारी पौड़ी।
6. कोषाधिकारी, पौडी।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
11. परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, श्रीनगर।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।

7